बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–........................../ पटना, दिनांक..........................

संoसं0–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

प्रेषकः

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय :– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये घोषित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं हेतु एवं उद्योगों के स्थापना/पुनवार्स के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन किये जाने तथा रूग्न उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹1970.49 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख उनचास हजार) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने तथा पूँजी निवेश को बढावा देने के उदेश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये घोषित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं हेतु एवं उद्योगों के स्थापना/पुनवार्स के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन किये जाने एवं रूग्न उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल **₹1970.49 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख उनचास हजार)** मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹1531.68 लाख (पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख अरसठ हजार)** मात्र एवं मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹425.48 लाख (चार करोड़ पचीस लाख अड़तालीस हजार)** मात्र तथा मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 08– उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P2852087960101, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹13.33 लाख (तेरह लाख तेतीस हजार)** मात्र बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य योजना आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा ईकाइवार निर्गत स्वीकृति आदेश के आलोक में राशि की निकासी सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृति आदेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित ईकाइ/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध करायी जायगी।

5 योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

6. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

8. प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक–28.06.2016 के मद सं0–14, में स्वीकृति संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 124/टि0 पर प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02...

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति)–02 / 2015 के पृष्ट 128 / टि0 पर दिनांक–11.07.16 को प्राप्त हैं जिसका डायरी संख्या–163 / OSD दिनांक–08.07.16 है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों के अनुपालन में किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355 / वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
पटना, दिनांक–..................................
03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति), –02 / 2015

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
पटना, दिनांक–..................................
03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति), –02 / 2015

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
पटना, दिनांक–..................................
03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति), –02 / 2015

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2492 /
पटना, दिनांक–11.07.16
03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति), –02 / 2015

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय / प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय / प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग / प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/2016
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11.7.16